

राजस्थान सरकार  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि)  
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना हेतु कटौती पत्र

कार्यालय का नाम .....

कोष .....

विभागीय कार्यवाही हेतु  
पत्रावली संख्या .....

क्रमांक .....

बजट मद - 8011 बीमा तथा पेंशन निधि - 107 राज्य कर्मचारी समूह बीमा योजना माह

- (ग) राज्य सरकारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना  
(ग) घटाइये राजस्व लेखों के अंतरण

क्र.सं. प्रीमियम	नाम कर्मचारी	पिता/पति का नाम	मद मनोनीत का नाम एवं	कर्मचारी से संबंध	राशि
कुल कर्मचारी .....				कुल प्रीमियम राशि रु .....	
.....				आहरण एवं वितरण	
अधिकारी				डी.डी.ओ कोड नम्बर .....	
.....					

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों पर लागू समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु ..... (कार्यालय का नाम) के ..... (संख्या) कर्मचारियों के माह अप्रैल, 20 ..... के वेतन बिल से ..... रुपये की कटौती की जाकर योजना के मद संख्या - 8011 बीमा तथा पेंशन निधि - 107 राज्य कर्मचारी समूह बीमा योजना में जमा करवायी जा चुकी है।

कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी

[www.sipf.rajasthan.gov.in](http://www.sipf.rajasthan.gov.in)